

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी- पीयूष समारिया

आई0ए0एस0

नामांतरण अपील सं0 03/2020



1. राजन्ती पुत्री गंगासहाय पत्नि किशनलाल जाति मीना निवासी बनी का बास सकट तहसील राजगढ।
2. कमला पुत्री गंगासहाय पत्नि शिम्भूदयाल जाति मीना निवासी गुढलिया झूपडियान की ढाणी तहसील बसवा जिला दौसा।

.. अपीलांट्स

बनाम

1. फैलीराम पुत्र गंगासहाय जाति मीना निवासी गोठडा तहसील दौसा जिला दौसा।
2. सीमा पुत्री कैलाश जाति मीना निवासी गोठडा तहसील दौसा जिला दौसा।
3. काव्या नाबालिग पुत्री रवि कुमार जरिये माता रेखा पत्नि रवि कुमार जाति मीना निवासी गोठडा तहसील दौसा जिला दौसा।
4. रेखा पत्नि रवि कुमार जाति मीना निवासी गोठडा तहसील दौसा जिला दौसा।
5. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।
6. उपतहसीलदार भाण्डारेज तहसील दौसा।

...रेस्पोजेण्ट्स

अपील विरुद्ध आदेश उपतहसीलदार भाण्डारेज दिनांक 08.06.2020 नामान्तकरण सं0 935 ग्राम गोठडा पारित किया गया है।

- उपस्थित :
1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट्स
 2. श्री वरुण नागर, अधिवक्ता रेस्पोजेण्ट्स संख्या 1 व 2 की ओर से
 3. रेस्पोजेण्ट्स सं0 3 व 4 अनुपस्थित
 4. चन्द्रशेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 23.02.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा नामान्तकरण संख्या 935 दिनांक 08.06.2020 ग्राम गोठडा तस्दीक किया गया। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेण्ट्स को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि ग्राम गोठडा स्थित कृषि भूमि खसरा नं0 372, 373, 378 लगा0 389, 389/2702, 499 कुल किता 16 रकबा 37.08 है0 एवं खसरा नं0 1653, 1655 लगा0 1694, 1669/2732, 1702, 1703, 374 लगा0 377, 483 लगा0 497, 506 लगा0 512, 721 लगा0 727 कुल किता 77 रकबा 10.11 है0 की सह खातेदार अपीलांट की

माता घीसी देवी पत्नि गंगासहाय मीना निवासी गोठडा थी। भूमि खसरा नं० 372, 373, 378 लगा० 389, 389/2702, 499 कुल किता 16 रकबा 37.08 है० एवं खसरा नं० 500 लगा० 505, 506/2762, 507/2763, 508/2764, 509/2765, 511/2766, 512/2767, 513 लगा० 527, 535, 755 लगा० 766, 811 लगा० 823, 825 लगा० 836, का सह खातेदार अपीलांट का पिता गंगासहाय पुत्र पाच्या भी था। गंगासहाय के दो पुत्र कैलाश व फैलीराम एवं दो पुत्री राजन्ती व कमला है। जिनमे से कैलाश का देहान्त हो गया और कैलाश की पत्नि व पुत्रों का भी देहान्त हो गया है एक मात्र पुत्री सीमा हैं। कैलाश के पुत्र रवि कुमार की पुत्री काव्या एवं पत्नि रेखा है। कैलाश पुत्र गंगासहाय के वारिस फैलीराम, राजन्ती, कमला, सीमा है। घीसी पत्नि गंगासहाय के वारिस अपीलांट व रेस्पो० नं० 1 व कैलाश होने के बावजूद भी अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये बिना एवं नोटिस दिये बिना पटवारी हल्का ने मात्र रेस्पो० नं० 1 व कैलाश चंद को ही वारिस मानकर नामान्तरण भरकर गिरदावर को पेश कर दिया। गिरदावर ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि वारिसान की सही जानकारी कर निस्तारण करे। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत गोठडा ने बिना अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत का अवसर दिये एवं बिना नोटिस दिये ही नामान्तरण संख्या 344 दिनांक 11.06.2006 तस्दीक कर दिया, जिसकी अपीलांट को कतई जानकारी नहीं थी। उक्त नामान्तरण के विरुद्ध उपजिला कलक्टर दौसा में अपील चल रही है। अपीलांट को बिना सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना अपीलांट के पिता गंगासहाय पुत्र पाच्या एवं मृतक कैलाशचंद पुत्र गंगासहाय की विरासत का नामान्तरण पटवारी हल्का गोठडा भरकर उपतहसीलदार भाण्डारेज से तस्दीक करवाने पर आमादा है। अपीलीय शीर्ष न्यायालयों से कार्य स्थगित होने के बावजूद भी उप तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा लॉकडाउन का फायदा उठाकर कार्यवाही की जाने लगी तो अपीलांट ने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 01.6.2020 को पटवारी हल्का गोठडा एवं उपतहसीलदार भाण्डारेज को रजिस्टर्ड नोटिस दिलवाये जाकर अपीलांट को सुनवाई एवं सबूत का अवसर देकर नामान्तरण के संबंध में समस्त जांच कर कार्यवाही करने के लिए कहा गया। इसके बावजूद भी लॉकडाउन के दौरान विधिविरुद्ध तरीके से अपीलांट के पिता गंगासहाय पुत्र पांच्या की विरासत का नामान्तरण अपलांट व रेस्पो नं० 1 तथा मृतक कैलाश के हक में नामान्तरण संख्या 933 भरकर दिनांक 02.06.2020 को उपतहसीलदार भाण्डारेज ने तस्दीक कर दिया। उसके बाद मृतक कैलाश की विरासत का नामान्तरण संख्या 935 दिनांक 08.06.2020 को रेस्पोडेन्ट नं० 2 लगा० 4 के हक में तस्दीक कर दिया। कानूनन मृत व्यक्ति के खिलाफ या पक्ष में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में मृत व्यक्ति के पक्ष में नामान्तरण संख्या 933 तस्दीक किया और उक्त नामान्तरण के आधार पर कैलाश को खातेदार मानकर यह नामान्तरण तस्दीक किया गया है। कैलाश पुत्र गंगासहाय की मृत्यु के पश्चात प्रथम श्रेणी वारिस उसकी पुत्री, अपीलांट्स व रेस्पो नं० 1 है। अपीलांट की माँ का कैलाशचंद व फैलीराम के हक में खुला नामान्तरण की अपील चल रही है। कैलाश चंद का हिस्सा गलत दर्ज हैं तो कैलाशचंद की विरासत का नामान्तरण तस्दीक करने में



h

नामांतरण अपील सं0 03/2020

कानूनी गलती की गई है। कैलाश चंद की प्रथम श्रेणी वारिस पुत्री सीमा, अपीलांट्स एवं रेस्पोंडेन्ट नं0 1 थी लेकिन कैलाश चंद की उतराधिकारी रेस्पोंडेन्ट नं0 3 व 4 को मानकर कानूनी गलती की है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार भाण्डारेज द्वारा पारित निर्णय नामान्तरण संख्या 935 दिनांक 08.06.2020 ग्राम गोठडा को निरस्त फरमाया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट नं0 1 एवं 2 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रश्नगत विरासत का नामान्तरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है। किन्तु नामान्तरण तस्दीक किये जाने में कोई कानूनी गलती हुई तो उसे दुरुस्त करने हेतु नियमोचित कार्यवाही किये जाने में रेस्पोंडेन्ट नं0 1 एवं 2 को कोई आपत्ति नहीं है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी बहस में निवेदन किया गया कि रेस्पोंडेन्ट नं0 1 व 2 द्वारा दिनांक 23.02.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर नियमोचित कार्यवाही किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया जा चुका है तथा रेस्पोंडेन्ट नं0 3 व 4 बाद तामील अनुपस्थित है। ऐसी स्थिति में प्रकरण को रिमाण्ड फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत नामान्तरण अपीलांट्स को बिना सबूत एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना खोला गया है। नामान्तरण में प्रभावित पक्षों के हिस्सों का गलत होने के कारण एवं उपस्थित रेस्पोंडेन्ट नं0 01 व 02 को नियमोचित कार्यवाही करने में कोई आपत्ति नहीं होने व्यक्त किया जाने से अपील अपीलांट स्वीकार कर नामान्तरण संख्या 935 दिनांक 08.06.2020 को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतरण सं0 935 दिनांक 08.06.2020 ग्राम ग्राम गोठडा उप तहसील भाण्डारेज तहसील दौसा को निरस्त किया जाकर प्रकरण उपतहसीलदार भाण्डारेज को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि समस्त पक्षकारान को विधिवत् सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं आवश्यक जांच कर विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख भिजवाया जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

